न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–101/16

1. सुनीता शर्मा पुत्री श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सीताराम पुत्र घासी, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. मुरलीधर पुत्र घासी, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम चौंप, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. श्रीमती शोभा सिंह पत्नी पी.पी. सिह, निवासी प्लॉट नम्बर 11/498, भवानीसिंह लेन, सहकार भवन के पीछे, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग, खासा कोठी, जयपुर।

–– रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 07.11.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 08.09.2015 (प्रकरण संख्या 94/2013) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम चौंप के आराजी खसरा नम्बर 1833/2218 बारानी–3 की खातेदार काश्तकार है जिसके मूल खसरा नम्बर 520 थे बाद में 520/1/9 रकबा 8 बीघा अंकित हुये एवं वर्तमान में खसरा नम्बर 1833/2218 रकबा 2.00 है जिस पर तारबंदी कर रखी है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 27.06.2013 का बाउण्ड्री निमार्ण हेतु पत्थर की ट्रालियॉ डाल देने एवं नाजायज निमार्ण करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होने पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विधान के विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का सन्तोषजनक निराकरण नही हुआ, लिहाजा इस प्रकरण में भू–प्रबन्ध अधिकारी, भू प्रबन्ध विभाग, जयपुर को पक्षकार बनाया गया है। उन्होने कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग इस प्रकरण में यथोचित जानकारी देते हुए जो खसरा नम्बर1833/2218 रकबा 2.00 हैक्टयर है कि भूमि में से 0.20 भूमि कम बताई गयी है एवं खसरा नम्बर 1833/2219 में 0.18 हैक्टयर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कम बताई के बाबत जब तक जवाब प्रस्तुत नही कर देते है इस प्रकरण का न्यायपूर्ण निर्णय नही हो सकता। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने कृषि भूमि पर जो अवैधानिक रूप से निमार्ण सामग्री इकट्ठा करके अकृषि गतिविधि करके निमार्ण किया है उसके बारे में निर्णय में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त निमार्ण विधिक है अथवा अविधिक के बारे में स्पष्ट विश्लेषण अपने निर्णय में करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की खातेदारी भूमि मौके पर 0.20 हैक्टयर एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की 0.18 हैक्टयर भूमि जो कम है उसके बारे में भी कोई निश्चियात्मक निर्णय पारित नही किया है, लिहाजा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश एक स्पीकिंग आदेश नही होने से खारिज किये जान योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट महिला वर्ग से है एवं कानूनी की तकनीकी जानकारी नही होने के कारण इस प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2015 की की पूर्व में नही ले सकी एवं नकले उन्हे दिनांक 16.03.2016 को मिली है। अतः जानकारी दिनांक 16.03.2016 से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट द्वारा विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जावे एवं रेस्पोडेन्ट को तलबी हेतु सम्मन जारी करके निर्णय पारित किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है खसरा नम्बर 1833/2219 रकबा 2 हैक्टयर बरानी–3 कुल किता 1 कुल रकबा 2 हैक्टयर वाके ग्राम चौंप अन्तर्गत तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है जिसके पूर्व कब्जे काश्तकार खातेदार टीनेन्ट सीताराम पुत्र घासीराम, जाति हरियाणा ब्राहाम्ण सा.देह था, अप्रार्थी संख्या 1 ही आराजी का कब्जा कश्तकार खातेदार टीनेन्ट तथा रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी उक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1833/2219 रकबा 2 हैक्टयर बारानी–3 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्रीमती शौभासिंह एवं सुश्री प्रियंका सिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.07.2013 को 97,40,000/--रूपये प्रतिफल प्राप्त करते हुए इसकी एवज में कतई विक्रय करते हुय कार्यालय उप पंजीयक अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उक्त राशि को प्राप्त करते हुए विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 व सुश्री प्रियंका सिंह के हक में तहरीर व तकमील कर दिया, जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 25.07.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 506 में पृष्ठ संख्या 111 क्रम संख्या 2013064003942 पर पंजीबद्ध किया गया तथा उसी वक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट सख्या 3 व सुश्री प्रियंका को वास्तविक कब्जा संभला दिया था तभी से रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व सुश्री प्रियंका सिंह का मौके पर विक्रय की गई उक्त आराजीयत पर भौतिक व वास्तविक

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कब्जा संभला दिया तभी से रेस्पोडेन्ट 3 व प्रियंका सिंह बहैसियत मालिक काबिज व कब्जे काश्तकार खातेदार टीनेन्ट चली आ रही है इससे साफ स्पष्ट है कि अपीलान्ट का अथवा अन्य दीगर व्यक्तियों का इस आराजीयात से कोई सम्बन्ध व तालूक नही रहा है और न ही कोई अन्य उक्त आराजीयात के कब्जे काश्तकार खातेदार टीनेन्ट है, और न ही अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व सुश्री प्रियंका सिंह द्वारा क्रय की गई उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कानूनन हक अधिकार हांसिल होता है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, आमेर के आदेश दिनांक 05.04.2013 की अनुपालना में दिनांक 03.06.2013 को खसरा नम्बर 1833/2219 का सीमाज्ञान करवाया गया, दिनांक 17.06.2013 को नायब तहसीलदार, गिरदावर हरमाडा व दो पटवारियों की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाई गई एवं पिल्लर लगवाये गये, यह सब कार्यवाही अपीलान्ट के इल्म व ज्ञान व उपस्थिति में हुई थी, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के आदेश से पटवारी चौंप ने दिनांक 25.06.2013 को खसरा नम्बर 1833/2218 का सीमाज्ञान प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के भतीजे श्यामसुन्दर शर्मा की मौजूदगी व अन्य लोगों की मौजूदगी मे फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान तैयार की गई एवं पढकर सुनाया जाकर मौके पर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये गये लेकिन अपीलान्ट ने फर्द मौका रिपोर्ट पर जानबुझकर हस्ताक्षर नही किये।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व सुश्री प्रियंका द्वारा क्रय की गई खातेदारी खसरा नम्बर 1833/2219 के समीप में अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1833/2218 रकबा 2 हैक्टयर भूमि स्थित है, इस कारण अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट से ईश्या व द्वेषता की भावना रखने के कारण एवं रेस्पोडेन्ट को आर्थिक, मानसिक, व शारीरिक जैरबार करने के उद्देश्य से एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व सुश्री प्रियंका सिंह की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने व हड़पने की उद्देश्य से आये दिन लडाई–झगड़ा करती है। उन्होने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई इस्तअुआ कानूनन इस प्रकरण द्वारा प्रदान की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य ही था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2015 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 27.06.2014 के अनुसार दोनों पक्षों में अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1833/2218 रकबा बरारी पर 1.80 हैक्टयर तथा रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 1833/2219 रकबा 1.82

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टयर बनती है जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबे से कम है, जिसके सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में वाद विचाराधीन होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पोषणीय नही होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2015 का यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.11.17 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।